राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि पट्टा या आवंटन की निम्नलिखित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	लिखतों का विवरण	स्टाम्प शुल्क
1.	यदि ऐसा पट्टा या आवंटन राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 या 158 के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है।	एक सौ रुपये
2.	यदि ऐसा पट्टा या आवंटन राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 20) के अधीन जारी किया गया है।	एक सौ रुपये
3.	यदि ऐसा पट्टा या आवंटन राजस्थान सरकार की स्लम रीडवलपमेंट पॉलिसी-2012 के अधीन जारी किया गया है।	एक सौ रुपये
4.	यदि उपर्युक्त वर्णित पट्टा या आवंटन पुनर्विधिमान्यकरण के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है।	एक सौ पच्चीस रुपये

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-188]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on the following instruments of lease or allotment, shall be reduced and charged as follows, namely:-

S.No.	Description of instruments	Stamp Duty
1.	If such lease or allotment is issued by Gram Panchayat under rule 157 or 158 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996.	One hundred rupees
2.	If such lease or allotment is issued under the Rajasthan Government Grants Act, 1961 (Act No. 20 of 1961).	One hundred rupees
3.	If such lease or allotment is issued under the Slum Redevelopment Policy-2012 of the Government of Rajasthan.	One hundred rupees
4.	If above mentioned lease or allotment is submitted for registration after revalidation.	One hundred twenty five rupees

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-188]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government